[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 80/2017-सीमाशुल्क

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर,2017

सा.का.नि.(अ).- जहां कि केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 50 से 63 के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं पर लगने वाले आयात शुल्क में वृद्धि की जानी चाहिए और ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण इस पर तत्काल कार्यवाही किए जाने की जरुरत है।

अतः अब उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 8क की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार, एतत‌द्वारा निर्देश देती है की उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची में निम्नलिखित तरीके से संशोधन किया जाएगा, यथाः-

उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची में, धारा XI में,-

(1) अध्याय 50 में, शीर्ष 5003, 5004, 5005, 5006 और 5007 के सभी टैरिफ मदों के समक्ष कॉलम (4) में आने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर, प्रविष्टि "25%" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(2) अध्याय 51 में,-

(i) शीर्ष 5101, 5102 और 5103 के सभी टैरिफ मदों (टैरिफ मद 5101 21 00, 5101 30 00 को छोड़कर), के समक्ष कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "25%" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) शीर्ष 5104, 5105, 5106, 5107 और 5108, के सभी टैरिफ मदों के समक्ष कॉलम (4) में प्रविष्टि "20%" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iii) शीर्ष 5109, 5110, 5111, 5112 और 5113, के सभी टैरिफ मदों के समक्ष कॉलम (4) की प्रविष्टि में अंक, "10%", के स्थान पर अंक "25%" ,को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(3) अध्याय 52 में,-

(i) शीर्ष 5201 और 5202, के सभी टैरिफ मदों के समक्ष कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "25%" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) शीर्ष 5204, 5205 और 5206, के सभी टैरिफ मदों के समक्ष कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "20%" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iii) शीर्ष 5207, 5208,5209, 5210, 5211 और 5212, के सभी टैरिफ मदों के समक्ष कॉलम (4) की प्रविष्टि में अंक, "10%", के स्थान पर अंक "25%" ,को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(4) अध्याय 53 में, सभी टैरिफ मदों (शीर्ष 5301 और 5302 के सभी टैरिफ मदों को छोड़कर) के समक्ष कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "25%" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;;

(5) अध्याय 54 में,-

(i) शीर्ष 5401, 5402, 5403, 5404, 5405 और 5406, , के सभी टैरिफ मदों के समक्ष कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "20%" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) शीर्ष 5407 और 5408, के सभी टैरिफ मदों के समक्ष कॉलम (4) की प्रविष्टि में अंक, "10%", के स्थान पर अंक "25%" ,को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(6) अध्याय 55 में,-

(i) शीर्ष 5501, 5502, 5503 और 5504, के सभी टैरिफ मदों के समक्ष कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "20%" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) शीर्ष 5505, के सभी टैरिफ मदों के समक्ष कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "25%" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iii) शीर्ष 5506, 5507, 5508, 5509 और 5510, के सभी टैरिफ मदों के समक्ष कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "20%" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iv) शीर्ष 5511,5512, 5513, 5514, 5515 और 5516, के सभी टैरिफ मदों के समक्ष कॉलम (4) की प्रविष्टि में अंक, "10%", के स्थान पर अंक "25%" ,को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(7) अध्याय 56 में,-

(i) शीर्ष 5601, 5602 और 5603, की मदों के समक्ष कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "25%" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) शीर्ष 5604, 5605, 5606 और 5607, के सभी टैरिफ मदों के समक्ष कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "20%" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(8) अध्याय 57 में, सभी टैरिफ मदों के समक्ष कॉलम (4) की प्रविष्टि में अंक, "10%", के स्थान पर अंक "25%" ,को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(9) अध्याय 58 में, सभी टैरिफ मदों के समक्ष कॉलम (4) की प्रविष्टि में अंक, "10%", के स्थान पर अंक "25%",को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(10) अध्याय 59 में, सभी टैरिफ मदों के समक्ष कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "25%" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(11) अध्याय 60 में, सभी टैरिफ मदों के समक्ष कॉलम (4) की प्रविष्टि में अंक, "10%", के स्थान पर अंक "25%",को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(12) अध्याय 61 में, सभी टैरिफ मदों के समक्ष कॉलम (4) की प्रविष्टि में अंक, “10%”, के स्थान पर अंक “25%”,को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(13) अध्याय 62 में, सभी टैरिफ मदों के समक्ष कॉलम (4) की प्रविष्टि में अंक, “10%”, के स्थान पर अंक “25%”,को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(14) अध्याय 63 में, सभी टैरिफ मदों के समक्ष कॉलम (4) की प्रविष्टि में अंक, “10%”, के स्थान पर अंक “25%”,को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

[फा.सं..354/123/2017-टीआरयू]

(मोहित तिवारी)
अवर सचिव भारत सरकार